



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 1408 / 78 बजट(एस.डी.आर.एफ.) / 2017-18

दिनांक 15.12.2017

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
टिहरी / देहरादून / पौड़ी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा सेतुओं के पुनर्निर्माण / तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अन्तर्गत 07 नं० कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

सन्दर्भ:- शासनादेश संख्या 1808 / XVIII-(2) / 17-12(4) / 2013 टी० सी० दि० 18.08.2017।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों / सेतुओं के पुनर्निर्माण एवं बन्द मार्गों को तात्कालिकता के आधार पर यातायात हेतु खोले जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को ₹ 25.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के सापेक्ष राज्य आपदा मोचन निधि के कार्यों हेतु निर्धारित मानकों के अन्तर्गत गठित निम्नलिखित 07 नं० आगणनों पर ₹ 71.37 लाख (₹ इकहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(i) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(ii) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों / कार्यों में किया जायेगा, जोकि एस० डी० आर० एफ० के दिशा-निर्देशों में अनुमन्य है।

(iii) स्वीकृत कार्यों में से 5 प्रतिशत कार्यों का सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जॉच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iv) इस योजना में स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय, कि चयनित कार्यों हेतु अन्य विभागीय योजनाओं अथवा अन्य विभागों के बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। यदि धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि एस० डी० आर० एफ० मद में प्राप्त आवंटन से व्यय की जायेगी।

(v) स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रवृत्ति के पुनर्निर्माण / तात्कालिक कार्यों हेतु उपयोग की जायेगी। नवनिर्माण के कार्यों में विषयक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मेनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु है, अतः स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक अनिवार्य रूप से करते हुए कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।

(viii) स्वीकृति प्रत्येक किमी. के लिए एस.डी.आर.एफ. हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जारी की जा रही है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी किमी. में मानक दर से अधिक व्यय न किये जाय।

(ix) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-101-आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.-02-आपदा राहत निधि से व्यय-00-42-अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी०	अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
1	उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड पुरोला	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला-कुफारा मोटर मार्ग के किमी० 01 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण कार्य।	1.00	1.97
योग जनपद उत्तरकाशी				1.00	1.97
2	हरिद्वार	निर्माण खण्ड रुड़की	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में पिरान कलियर से सोहलपुर लामग्रान्ट होते हुए मुजाहिदपुर सतीवाला मार्ग के किमी० 01 से 06 में पैच मरम्मत का कार्य।	6.00	3.49
3	हरिद्वार	निर्माण खण्ड रुड़की	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में रुड़की-धनौरी नहर मार्ग के किमी० 01 से 10 में पैच मरम्मत का कार्य।	10.00	5.94
4	हरिद्वार	निर्माण खण्ड रुड़की	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में रुड़की-लक्सर मार्ग के किमी० 02 से किमी० 09 में पैच मरम्मत का कार्य।	8.00	9.13
योग जनपद हरिद्वार				24.00	18.56
5	टिहरी	प्रान्तीय खण्ड टिहरी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत यातायात खोलने हेतु एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउन्टेड जे.सी.बी. लोडर मशीन द्वारा टिहरी मुख्यालय के मार्गों में स्लिप सफाई का कार्य।	As Per Log Book	13.84
6	टिहरी	प्रान्तीय खण्ड टिहरी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत यातायात खोलने हेतु एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउन्टेड जे.सी.बी. लोडर मशीन द्वारा लम्बगांव मुख्यालय के मार्गों में स्लिप सफाई का कार्य।	As Per Log Book	10.20
योग जनपद टिहरी				-	24.04

पत्रांक:-

/ 78 बजट(एस.डी.आर.एफ.) / 2017-18 दिनांक

.12.2017 का संलग्नक

क्र० सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी०	अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
7	पौड़ी	निर्माण खण्ड श्रीनगर	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर के अन्तर्गत वर्षाकाल में बन्द मार्गों को खोलने हेतु एक्सकेवेटर/बैक हो मशीन की आपूर्ति।	As Per Log Book	26.80
योग जनपद पौड़ी				-	26.80
कुल योग				25.00	71.37

(एच० के० उप्रेती)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- II, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्तावाँ वृत्त, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड लो०नि०वि० उत्तराखण्ड।
8. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष